संख्या- 71/2019/1913/71-1-2019-जी-89/2017

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 13 अगस्त, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में ई- हास्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2019/194, दिनॉक 25-06-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है प्रदेश के 06 पुराने राजकीय मेडिकल कालेजों यथा आगरा, झॉसी, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज तथा गोरखपुर एवं 02 संस्थानों यथा जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर एवं हृदय रोग संस्थान, कानपुर में ई-हास्पिटल प्रणाली के सुचारू संचालन हेतु मै0 इंस्प्रा इण्टरप्राइजेज प्रा0 लि0, नई दिल्ली द्वारा लगाए गए उपकरणों के संचालन हेतु निवदिा अनुबन्ध द्वारा 05 वर्ष के लिए प्रत्येक कालेजों एवं संस्थानों में रखे सर्विस इंजीनियर्स के 06 माह (15.10.2018से 15.04.2019) तक के लम्बित वेतन के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 10,00,00,000/- (रू0 दस करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू0 72,49,920/- (रू0 बहत्तर लाख उनचास हजार नौ सौ बीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के 06 पुराने राजकीय मेडिकल कालेजों यथा आगरा, झॉसी, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज तथा गोरखपुर एवं 02 संस्थानों यथा जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर एवं हृदय रोग संस्थान, कानपुर में ई-हास्पिटल प्रणाली के सुचारू संचालन हेतु आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता एजेन्सी मै0 सिल्वर टच, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराए गए 66 डाटा एक्जक्यूटीव तथा 08 सीनियर सपोर्ट एक्जक्यूटीव की सेवायें मार्च, 2020 तक प्राप्त किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के मानक मद-58-आउटसोर्सिंग में प्राविधानित धनराशि से भुगतान किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3- उपर्युक्तानुसार दी जाने वाली प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) शासनादेश संख्या-88/2018/1296/71-1-2018-जी-89/2017, दिनॉक 30.03.2018 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-15-राजकीय मेडिकल कालेजों में हास्पिटल मैनेजमेण्ट सिस्टम की स्थापना-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या:- 71/2019/1913(1)/71-1-2019 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झाँसी।
4- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर एवं जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झाँसी।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झाँसी।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल। आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।